

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 104]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 मार्च 2016—फाल्गुन 19, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2016

क्र. एफ. ए 3-11-2016-1-पांच (15).—मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद और विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वामियों को प्रकाश झा द्वारा निर्देशित फिल्म "जय गंगाजल" के सिनेमाघरों में प्रदर्शन पर, इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से मनोरंजन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है. सिनेमाघरों के स्वामी द्वारा फिल्म के जारी होने की तिथि से पूर्व में प्रचलित प्रवेश कर की दर को उतनी ही सीमा तक कम की जाएगी, जितनी राशि की छूट प्रदान की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2016

क्र. एफ. ए 3-11-2016-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए 3-11-2016-1-पांच (15), दिनांक 9 मार्च 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 9th March 2016

No. F A-3-11-2016-1-V (15).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Adhinyam, 2011 (No. 11 of 2011), the State Government, hereby, exempts the proprietors registered under the said Act from the payment of entertainment tax in respect of screening of film "Jai Gangaajal" directed by Prakash Jha in cinema halls from the date the release of the film. The rate of admission prevailing prior to the issue of this notification shall be reduced by the proprietor of the cinemas to the extent of the exemption granted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MANOJ SHRIVASTAVA, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2016

क्र. एफ. ए 3-10-2016-1-पांच (16).—मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद और विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वामियों को राम माधवानी द्वारा निर्देशित फिल्म "नीरजा" के सिनेमाघरों में प्रदर्शन पर, इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से मनोरंजन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है. सिनेमाघरों के स्वामी द्वारा फिल्म के जारी होने की तिथि से पूर्व में प्रचलित प्रवेश कर की दर को उतनी ही सीमा तक कम की जाएगी, जितनी राशि की छूट प्रदान की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2016

क्र. एफ. ए 3-10-2016-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए 3-10-2016-1-पांच (16), दिनांक 9 मार्च 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 9th March 2016

No. F A-3-10-2016-1-V (16).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Adhinyam, 2011 (No. 11 of 2011), the State Government, hereby, exempts the proprietors registered under the said Act from the payment of entertainment tax in respect of screening of film "Neerja" directed by Ram Madhvani in cinema halls from the date the release of the film. The rate of admission prevailing prior to the issue of this notification shall be reduced by the proprietor of the cinemas to the extent of the exemption granted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MANOJ SHRIVASTAVA, Principal Secy.